अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका

आवेदन पत्र सं0-299/16

विभिषण मिर्धा बनाम अवधेश साह वगै0

धारा 144 द0प्र0स0

आदेश की क्रम सं0और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी के स
1	2	3
17/5/17	**आदेश** प्रस्तुत कार्रवाई आवेदक के आवेदन पत्र पर प्रारंभ करते हुए संबंधित थाना प्रभारी एवं अंचल अध्किारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग करते हुए विवादित स्थल पर यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया तथा विपक्षी को कारण पृच्छा नोटिश निर्गत किया गया। थाना प्रभारी से जाँच प्रतिवेदन एवं विपक्षी से कारण पृच्छा प्राप्त। अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। रामगढ़ थाना अन्तर्गत मौजा ढेंगीमोड़ा के जमावंदी सं0-71/23 जिसका दाग न0 आवेदक के आवेदन पत्र में अंकित है। उक्त भूमि पर द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करने के विन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध लेख्यात्मक साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है, कि विषयगत भूमि गैंजर खतियान में कानु मिर्धा एवं गुरूदयाल मिर्धा के नाम से दर्ज है। कानू मिर्धा की मृत्यु नावल्द हो गया। गुरूदयाल मिर्धा को तीन वारिश कोकील मिर्धा , बेधा मिर्धा एवं दशरथ मिर्धा, कोकील मिर्धा को एक वारिश विभिषण मिर्धा । बेधा मिर्धा को एक वारिश तारू मिर्धा । दशरथ मिर्धा को दो पुत्री वारिश राधा मिर्धाईन एवं विन्दो देवी। द्वितीय पक्ष का दावा है कि आपत्ति वाद सं0-78/24 में दिनांक 8-2-24 को सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करते हुए खतियानी रैयत कानू मिर्धा एवं गुरूदयाल मिर्धा को जमांवदी सं0-23 के सम्पूर्ण दाग से उच्छेद किया गया है, जबकि आदेश की सत्यापित सच्ची प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि खतियानी रैयत को दाग सं0-763 एवं 764 से उच्छेद किया गया है। शेष भूमि पर प्रथम पक्ष शांति पूर्ण दखल कब्जे में है। वर्त्तमान खतियान मं संशोधन हेतु प्रथम पक्ष द्वारा संशोधन वाद सं0-719/11 बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में दायर किया गया जिसमें द्वितीय पक्ष को दिनांक 16-9-16 को नोटिश तामिला हुआ तथा द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष पर आक्रमक हुए एवं द्वितीय पक्ष जबरन प्रथम पक्ष को विषयगत भूमि से बेदखल करना चाहते हैं जिसके कारण पक्षकारों के वीच काफी तनाव बना हुआ है तथा शांति भंग होने की संभाबना बनी हुई है। इसलिए पक्षकारों के वीच शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु विषयगत भूमि पर धारा 144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ किया जाय। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है, कि विषयगत भूमि गैंजर खतियान में जमुना प्रसाद साह एवं किसुन प्रसाद साह पिता राम शरण साह के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है। खतियानी रैयत अपने जीवन काल तक विषयगत भूमि के विना किसी	

आदेश की क्रम सं0और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कार्यवाही टिप्पणी
1	2	

बाधा के शांति पूर्ण दखल कब्जे में रहे । इनके मृत्युपरांत इनके उत्तराधिकारी विषयगत भूमि के दखल कब्जे में आये। प्रथम पक्ष का विषयगत भूमि से कोई सरोकार नहीं हैं तथा दूसरे जाति के हरिजन है। वर्त्तमान खतियान में गैंजर जमावंदी सं0-23 से जमावंदी स0-71 बना जिसमें सभी द्वितीय पक्ष के पिता का नाम दर्ज किया गया है। पुलिस पदाधिकारी , रामगढ़ द्वारा द्वितीय पक्ष के पक्ष में प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। इस मामल के पूर्व भी धारा 144 द0प्र0स0 के तहत चला जिसका क्रि0 मी0 वाद सं0-1163/07 है। उक्त मामला में द्वितीय पक्ष के पक्ष में आदेश पारित किया गया तथा प्रथम पक्ष को सिविल न्यायालय में जाने का निदेश दिया गया। इस प्रकार वर्त्तमान कार्यवाही न्यायसंगत नहीं है। इसलिए इसे समाप्त करने का अनुरोध करते है।

थाना प्रभारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किये हैं कि विषयगत भूमि द्वितीय पक्ष की खतियानी भूमि है जिसपर द्वितीय पक्ष द्वारा कुरथी फसल लगाया गया है। प्रथम पक्ष का दावा गलत है। इस तथ्य का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन समर्पित किये है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध लेख्यात्मक साक्ष्यों के अवलोकर से स्पष्ट होता है कि विषयगत भूमि गैंजर खतियान में जमुना प्रसाद साह एवं किसुन प्रसाद साह पिता राम शरण साह के नाम से दर्ज है।प्रथम पक्ष का दावा है कि विषयगत भूमि प्रथम पक्ष की खतियानी भूमि है। लेकिन जमावंदी सं0-23 के दो दाग सं0-763 एवं 764 से प्रथम पक्ष के पूर्वज को उच्छेद किया गया है शेष दाग पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है। जबकि द्वितीय पक्ष का दावा है कि जमावंदी सं0-23 की सम्पूर्ण भूमि पर द्वितीय पक्ष के पूर्वज का नाम खतियान में दर्ज है जिसके वारिशान द्वितीय पक्ष है। इसलिए द्वितीय पक्ष का विषयगत भूमि पर दावा बनता है। इस सबंध में पूर्व में इसी न्यायालय में पक्षकारों के वीच विषयगत भूमि को लेकर धारा 144 द0प्र0स0 के तहत मामला चला जिसमें जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष पर सम्पुष्ट करते हुए द्वितीय पक्ष से खाली किया गया है एवं प्रथम पक्ष को सक्षम न्यायालय में शरण लेने का निदेश दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मामला पक्षकारों के दखल कब्जा का नहीं बल्कि हक एवं अधिकार से संबंधित है जिसका निपटरा वर्त्तमान कार्रवाई में संभव नहीं है। इस संबंध में क्रि0 मी0 वाद सं0-1163/2007 में दिनांक-27-12-07 को पारित आदेश द्वारा प्रथम पक्ष को सक्षम न्यायालय में शरण लेने का निदेश दिया गया है। अतः आवेदक को मामले का निपटारा हेतु सक्षम न्यायालय में शरण ले सकते हैं। इसी निरीक्षा के साथ आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

अनु0 दण्डा0

17/05/17

अनुमंडल दण्डाधिकारी,

दुमका।